>

Title: Need to recognize the Dhiwar, Ghewar, Kahar, Mallah, Dhimar, Bhoi and Nishad sub-castes of Majhi as Scheduled Tribe in Madhya Pradesh.

श्री देवराज सिंह पटेल (रीवा): अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में मांझी आदिवासी अनुसूचित जनजाति की उपजातियां--धीवर, केवट, कहार, मल्लाह, ढीमर, भोई, निषाद आदि की पहचान सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

महोदया, भारत सरकार के संविधान (आदिम जातियां) (पार्ट श्री स्टेटस) आदेश 19951 द्वारा मांझी जनजाति को विध्य प्रदेश के लिए सरल क्रमांक 7 में घोषित किया गया था और अनूसूचित जनजाति संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा पूरे विंध्य प्रदेश के लिए मांझी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची के सरल क्रमांक 9 में घोषित किया गया था।

इसी_तरह अनुसूचित जनजाति संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा सम्पूर्ण मध्य प्रदेश के लिए माझी जनजाति को अनुसूचित जनजाति सूची क्रमांक 29 में घोषित किया गया था। भारत सरकार की जनगणना रिपोर्ट 1901 के आधार पर माझी रीवां राज्य, बघेलखण्ड में पाई गयी है। माझी जनजाति की जनसंख्या 25,578 पाई गयी है। इसी परिपत्र में भारत सरकार ने यह भी प्रमाणित किया है कि माझी जनजाति की अमलगमेटेड जाति केवट एवं धीवर हैं। मध्य प्रदेश शासन ने वर्ष 1964 में प्रकाशित अपनी रिपोर्ट में माझी जनजाति को गोंड़ एवं उरावं चिन्हित किया है जिसके कारण मध्य प्रदेश में माझी जनजाति के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया है और उन्हें सुविधाओं से वंचित किया गया है। माझी जनजातियां_किसी_समय गंगा नदी के किनारे बनारस एवं इलाहाबाद_निवास_करती_थीं,बाद_मेंद, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, रीवां, सीधी, सतना में निवास कर रही हैं जिनकी बोली एवं भाषा बघेलखण्डी एवं बुंदेलखण्डी है।

महोदया, सदन के माध्यम से मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस बात की जांच कराएं कि भारत सरकार द्वारा घोषित वेवह जीवित माझी जनजाति परिवार कौन-सा कौन_हैहै और उनकी जनसंख्या विंध्य क्षेत्र एवं मध्य प्रदेश में कितनी है ताकि उन्हें न्याय मिल सके?